

न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्ता, बसिया (गुमला)।

अनुमति वाद संख्या - 24/2022-23

केश का प्रकार - सी0एन0टी0 एक्ट 46

आदेश की क्र०सं० एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षरी	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी												
12.5.22	आवेदक बहतन गुड़िया, पिता - स्व० प्रेमचंद गुड़िया, जाति - मुण्डा, मौजा - कजरा थाना - कामडारा, जिला -गुमला (झारखण्ड) स्थित मौजा - कजरा, खाता सं०- 56, प्लॉट सं० - 141, कुल रकबा - 0.52 एकड़ भूमि को क्रेता विलियम बरला, पिता - स्व० वरदान बरला, जाति - मुण्डा, मौजा - कजरा, थाना - कामडारा जिला - गुमला के साथ बिक्री/ वसीयत/ बक्सीस करने के लिए छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतु आवेदन पत्र दिया गया है। उक्त आवेदन के आधार पर अनुमति वाद प्रारम्भ किया गया। भूमि का विवरणी <table><tr><th>राजस्व ग्राम</th><th>थाना सं०</th><th>खाता सं०</th><th>प्लॉट सं०</th><th>रकबा</th><th>जमीन का किस्म</th></tr><tr><td>कजरा</td><td>98</td><td>56</td><td>141</td><td>0.52 एकड़</td><td>टांडा II</td></tr></table> कुल 0.52 एकड़ प्लॉट सं०- 141 की चौहद्दी उत्तर में - डुगवा पहान, दक्षिण में - विलियम महतो, पूरब में - प्रकाश महतो, पश्चिम में - रोड जमीन विक्रेता की विवरणी बहतन गुड़िया, पिता - स्व० प्रेमचंद गुड़िया, जाति - मुण्डा, मौजा - कजरा थाना - कामडारा, जिला -गुमला (झारखण्ड) जमीन क्रेता की विवरणी विलियम बरला, पिता - स्व० वरदान बरला, जाति - मुण्डा, मौजा - कजरा, थाना - कामडारा जिला - गुमला (झारखण्ड) आवेदित भूमि को आवेदक प्रस्तावित क्रेता विलियम बरला, पिता - स्व० वरदान बरला, जाति - मुण्डा, मौजा - कजरा, थाना - कामडारा जिला - गुमला (झारखण्ड) से मो० 16500.00 (सोलह हजार पाँच सौ) रुपये पर बिक्री करने का तय हुआ। आवेदक को रुपये की जरूरत वास्ते जरूरी काम करने के लिए रुपये की आवश्यकता है के कारण ही आवेदक भूमि की बिक्री	राजस्व ग्राम	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा	जमीन का किस्म	कजरा	98	56	141	0.52 एकड़	टांडा II	
राजस्व ग्राम	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा	जमीन का किस्म									
कजरा	98	56	141	0.52 एकड़	टांडा II									

✓

कर रहे हैं। अंचल अधिकारी, कामडारा को आवेदन भेजते हुए जॉच प्रतिवेदन की मांग की गई एवं आम इश्तेहार निर्गत किया गया।

अंचल अधिकारी, कामडारा के कार्यालय पत्रांक - 09 दिनांक - 23.11.2022 के द्वारा जॉच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है, जिसके कारण आवेदक को जमीन बिक्री करने के लिए अनुमति प्रदान करने हेतु अनुशंसा की गई है। आम सूचना के तामिला के बावजूद अभी तक किसी की ओर से किसी प्रकार का कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। उक्त भूमि के बिक्री के बाद भी आवेदक के पास जीवन यापन हेतु काफी भूमि शेष बचता है। आवेदक का वक्तव्य उनके विज्ञ अधिवक्त के पहचान पर अभिलिखित किया गया। आवेदक ने अपने वक्तव्य में कहा है कि वह भूमि उनकी खतियानी एवं दखल हिस्से की है। आवेदित भूमि विवाद रहित है साथ ही गैरमजरूआ आम/खास भू-बन्दोबस्ती, भू-हदबन्दी भूदान, वनसीमा एवं भू-अर्जन इत्यादि से मुक्त है। दोनों पक्ष अनुसूचित जनजाति के समुदाय के अन्तर्गत जाति मुण्डा के हैं साथ ही एक ही थाना के निवासी है।

अतः अंचल अधिकारी, कामडारा के जॉच प्रतिवेदन में निहित अनुशंसा के आधार पर निम्नांकित विवरण की भूमि को आवेदक विलियम बरला, पिता - स्व० वरदान बरला, जाति - मुण्डा, मौजा - कजरा थाना - कामडारा, जिला - गुमला (झारखण्ड) को उपरोक्त वर्णित राशि मो० 16500.00 (सोलह हजार पाँच सौ) रुपये अथवा जिला निबंधन कार्यालय के मार्गदर्शिका में अंकित बाजार मूल्य दोनों में जो अधिक हो पर बिक्री करने हेतु विपक्षी के साथ छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के अन्तर्गत एतत् द्वारा प्रदान की जाती है।

इस आदेश से अन्य अंशदार या हिस्सेदार का हक प्रभावी नहीं होगा।

लेखापित एवं संशोधित ।


अनुमण्डल पदाधिकारी

—सह—

भूमि सुधार उप समाहर्ता
बसिया(गुमला)।


अनुमण्डल पदाधिकारी

—सह—

भूमि सुधार उप समाहर्ता
बसिया(गुमला)।